गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1961 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 10.21 लाख नेपाली भाषी लोग हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें ये हैं कि नेपाली भाषा को निम्नलिखित आधारों पर संविधान की आठवीं अनुसूची मे शामिल किया जाय :—

(i) नेपाली भाषा भारत के लगभग 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है।

(ii) नेपाली भाषा दार्जिलिंग और आस-पास के अन्य क्षेत्रों के एक बड़े भाग के लोगों की मुख्य भाषा है। नेपाली भारत के घनिष्ठ मित्र नेपाल की राज्य भाषा है और यह भूटान तथा सिक्किम के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इन देशों के सामाजिक, राजनैतिक और सास्कृतिक सम्बन्ध भारत के साथ बहुत गहरे और बड़े मजबूत हैं।

(iii) देश की नेपाली भाषी जनसख्या भारत की सुरक्षा का प्रधान अश है और वे भारत के राजनीतिक जीवन मे एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं।

(iv) नेपाली भाषा लोगों को सामाजिक विकास तथा संस्कृति व भाषा के विकास के लिए सुविधाएं नही मिल रही हैं।

ज्ञापन मे दिये गये प्रस्ताव अतीत मे भी प्राप्त हुए थे। भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि राष्ट्र के विस्तृत हित में संविधान की आठवीं सूची का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने की स्थापना

1407. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश मे सीमेंट का एक कारखाना खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हा, तो उसकी लागत क्या होगी तथा उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मेढर (मध्य प्रदेश) मे एक 2,00,000 वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का सयंत्र सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा चालू किया जा चुका है। 1,86,060 मी० टन वार्षिक ब्लास्ट फरनैस स्लेग सीमेंट बनाने हेतु एकक के पर्याप्त विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है तथा औपचारिक मंजूरी जारी हो रही है।

(ख) मेढर की पर्या विस्तार योजना पर 211 लाख रुपये की ी व्यय का अनुमान है तथा इससे 105 व नयों को रोजगार मिलने की आशा है।

लाइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन-पत्र

1408. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या औद्योगिक विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन-पत्र भेजे हैं तथा जिन पर केन्द्रीय सरकार ने निर्णय नहीं किया है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उनको अनिर्णीत रखने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र आमतौर पर पार्टियों से सीधे ही प्राप्त किये जाते है । 1971 तक मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रो मे से 86 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं । इनमे से 1968 का एक, 1969 के 2, 1970 के 15 और 1971 के 68 आवेदन-पत्र हैं । अनिर्णीत आवेदन-पत्रो का ब्यौरा आमतौर पर नही बताया जाता है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रो पर विचार करने मे प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओ पर विस्तृत रूप से जाच करने की आवश्यकता होती है और विभिन्न कारणो से किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने मे विलम्ब होता है । इन कुछ मामलो मे आवेदन-पत्रो मे आवश्यक विवरण नही दिया होता है और अतिरिक्त जानकारी मगानी पड़ती है । कुछ अन्य मामलो से सम्पूर्ण उद्योग के विषय मे नीति सम्बन्धी निर्णय लेना पड़ता है । स्पष्टरूप से यह बताना कठिन है कि अनिर्णीत मामलो पर कब तक निर्णय लिया जायेगा । किन्तु सरकार लाइसेंस के सभी आवेदन पत्रो का शीघ्रता से निपटारा करने की आवश्यकता के प्रति सजग है और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है कि यथा-सम्भव, आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की तिथि से या आवेदन पार्टी से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने की तिथि से, जो भी बाद मे हो तीन महीनों की अवधि के अन्दर लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया जाय ।

कृष्ण चन्द्र जोशी द्वारा लिखित 'वन-मानव' में हिन्दू देवी-देवताओं पर लगाये गये लांछन

1409. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री कृष्ण चन्द जोशी द्वारा लिखित "वन मानव" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस पुस्तक मे हिन्दू देवी-देवताओ पर गम्भीर लाछन लगाये गये हैं ; और

(ग) इस पुस्तक को प्रतिबन्धित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । "वन मानव" पुस्तक के लेखक का नाम गणेश चन्द्र जोशी है ।

(ख) और (ग). पुस्तक की प्रतियां सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 99 क के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना स० 17(1) एच० ए०/72 दिनाक 10-2-72 के अन्तर्गत इस आधार पर जब्त कर ली गई हैं कि इसमें कुछ व्यक्तियो की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुचाने वाली सामग्री निहित है ।

Experts Group on Education

1410 SHRI B. K. DASCHOWDHURY :
SHRI D. P. JADEJA :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether any Experts Group was set up by the Planning Commission on education to formulate proposals for the Development of education in the Fifth Five Year Plan : and

(b) the main discussions held and the suggestions made by that Group and implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Yes, Sir. Planning Com-